सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-2029/MCOL/1/2025-RU-IV (RU-I) **दिनांक: 22.07.2026**

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
कोल एस्टेट, सिविल लाइंस,
नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र
ई-मेल: cmd.wcl.cil@coalindia.in

विषय: वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की समस्या/शिकायतों का निराकरण करने संबंधी ज्ञापन दिए जाने के संबंध में- श्री बाबापुसाम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी एम्पलॉइज कोर्डिनेशन कॉउसिल, वेकोली (मुख्यालय) सिविल लाइंस, नागपूर, महाराष्ट्र का दिनांक 29.07.2024 का पत्र/अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री बाबापुसाम,
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी एम्पलॉइज कोर्डिनेशन कॉउसिल,
वेकोली (मुख्यालय) सिविल लाइंस,
नागपूर, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/SER-2029/MCOL/1/2025-RU-IV

वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की समस्याओं/शिकायतों के निराकरण के संबंध में श्री बाबापुसाम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी एम्पलॉइज कोर्डिनेशन काउंसिल, वेकोली (मुख्यालय), सिविल लाइंस, नागपुर, महाराष्ट्र के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. श्री बाबापुसाम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी एम्पलॉइज कोर्डिनेशन काउंसिल, द्वारा दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के माध्यम से वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के संबंध में आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया था। अभ्यावेदन में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से संबंधित कुल 17 बिंदुओं पर शिकायतें एवं मांगें प्रस्तुत की गई थीं।

3. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को दिनांक 02.04.2025 को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात आयोग द्वारा दिनांक 23.06.2025 को आयोजित सिटिंग में प्रकरण की सुनवाई की गई, जिसमें आयोग ने संबंधित प्राधिकारी को प्रार्थी तथा अनुसूचित जनजाति संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर अभ्यावेदन में उल्लिखित बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

4. आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं उठाए गए कदमों की समीक्षा हेतु दिनांक 17.06.2026 को पुनः सिटिंग आयोजित की गई।

5. दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग में वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रतिनिधिगण तथा अभ्यावेदक आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा दिनांक 23.06.2025 को की गई अनुशंसाओं के अनुपालन में अभ्यावेदक एवं संबंधित अनुसूचित जनजाति संगठनों के साथ आवश्यक विचार-विमर्श किया गया है तथा विभिन्न मुद्दों पर यथासंभव आवश्यक कार्रवाई की गई है।

6. अभ्यावेदक श्री बाबापुसाम द्वारा आयोग के समक्ष यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है तथा वे प्रकरण में की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने आयोग से प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई न करने का अनुरोध किया।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

7. प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि अभ्यावेदक द्वारा प्रकरण के निराकरण पर संतोष व्यक्त किया गया है तथा आयोग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसा की गई –

चूंकि अभ्यावेदक द्वारा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया है तथा आयोग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः उक्त प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/SER-2029/MCOL/1/2025-RU-IV (RU-I)

दिनांक: 17.06.2026

विषय: वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की समस्या/शिकायतों का निराकरण करने संबंधी ज्ञापन दिए जाने के संबंध में- श्री बाबापुसाम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी एम्पलॉइज कोर्डिनेशन कॉउसिल, वेकोली (मुख्यालय) सिविल लाइंस, नागपूर, महाराष्ट्र का दिनांक 29.07.2024 का पत्र/अभ्यावेदन के संबंध मे आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित मीटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री तिलक नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
कोल एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	विक्रम घोष	D(HR), WCL	6294232700	
2	पी. एम. [illegible]	Dy GM (IR), WCL	9422843321	
3	अतुल बनसोड	Mgr (HR) LO (SC/ST)	9960736128	
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				